



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

दि०- 04.07.2024

थाना कम्पिल

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, ३०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र विकार अहमद 2. शनी पुत्र रज्जाक 3. इस्माइल पुत्र अनीस समस्त निवासी गण काशीराम कालोनी थाना अलीगंज जनपद एटा मु०अ०सं०- २९९/२०१८ वाद स०- ४४१३/२०१८ धारा- ४५७,३८२,४११ भा०द०वि० थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियोग के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक ०४.०७.२०२४** को मा० न्यायालय सी०जे०ए० कोर्ट फर्ल० द्वारा अभियोग को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०६-०६ वर्ष का साधारण कारावास व ०५-०५ हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री चन्द्रेश कुमार



कोर्ट मोहर्रिर हॉका० कुन्दन सिंह



पैरोकार हॉका० धर्मेन्द्र कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0- 04.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, ३०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. रज्जाक पुत्र विकार अहमद 2. शनी पुत्र रज्जाक 3. इस्माइल पुत्र अनीस समस्त निवासी गण काशीराम कालोनी थाना अलीगंज जनपद एटा मु०अ०सं०- १६/२०१८ वाद स०- ४४१२/२०१८ धारा- ४५७,३८०,४११ भा०द०वि० कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियान के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक ०४.०७.२०२४** को मा० न्यायालय सी०जे०एम० कोर्ट फर्ल० द्वारा अभियान को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०६-०६ वर्ष का साधारण कारावास व ०५-०५ हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ - श्री अंकित कुमार



कोर्ट मोहर्रि हॉका० विजय कुमार



पैरोकार हॉका० सुधीरचन्द्र



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

कोतवाली कायमगंज

#OperationConviction

दि0- 04.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. राजेश उर्फ पटेला पुत्र कन्हैया 2. महेन्द्र उर्फ महेश पुत्र ओमीराम 3. कालिया उर्फ राकेश पुत्र भरती उर्फ चुना 4. मनोज उर्फ छोटू पुत्र भूरा 5. विनोद उर्फ छोटू पुत्र गंगाराम 6. रामबीर पुत्र अमर सिंह मु0अ0सं0- 65/2018 वाद सं0-98/2019 धारा- 395,376डी भा0द0वि0 व 5/6 पाकसो एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभिरोप के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाकसो कोर्ट फर्नू द्वारा अभिरोपण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



कोर्ट मोहर्रिर म0का0 स्वाती



पैरोकार ह0का0 सुभाषचन्द्र





